बैंकिंग और उससे आगे : भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने नयी चुनौतियाँ *

के.सी. चक्रवर्ती

लॉर्ड स्टीफेन ग्रीन, व्यापार और निवेश मंत्री, यूनाइटेड किंगडम, सम्मानित पैनलिस्ट्स, सम्मानित अतिथिगण, देवियो और सज्जनो। सबसे पहले मैं मिंट, मुंबई तथा अपने अच्छे मित्र तमल और आर. सुकुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मंच पर आसीन महानुभावों के बीच मुझे आज की बहस - 'बैंकिंग और उसके आगेः भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने नयी चुनौतियाँ' की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किया है। समय के साथ, मिंट ने अग्रणी बहस-श्रृंखला के माध्यम से अपनी स्पष्टता द्वारा जननीति के प्रासंगिक मुद्दों और चुनौतियों को उठाने का काम किया है तथा वित्तीय क्षेत्र में चिंतन के मार्गदर्शक के रूप में कॉर्पोरेट मानस-पटल पर अपना एक स्थान बनाया है। बहुत अच्छा काम है, इसके लिए मिंट की टीम की तारीफ करता हूँ तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

2. विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि "वित्त में वह हर चीज जो स्वीकार्य हो कमजोर होती है तथा वह हर चीज जो मजबूत हो, अस्वीकार्य होती है।" मुझे लगता है कि मेरे अधिकांश विचारों पर आपकी गहरी असहमति हो सकती है, परंतु आशा है कि ये गंभीर सार्वजनिक बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे आज पहले से ज्यादा दृढ़ विश्वास है कि वित्तीय बाजारों को प्रभावी रूप से काम करने के लिए विनियमन की एक सुदृढ़ रूपरेखा अपेक्षित है। मुझे आज पहले से ज्यादा दृढ़ विश्वास है कि इतने अधिक बड़े बैंक कि इन्हें विफल होने नही दिया जा सकता या इतने अधिक बड़े बैंक जिन्हें बचाया नहीं जा सकता, वे वास्तविक प्रणालीगत जोखिम की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका विश्वसनीय ढंग से और प्रभावशाली रूप में सामना किए जाने की जरूरत है। और मुझे आज पहले से ज्यादा दृढ़ विश्वास है कि केंद्रीय बैंकों का परिचालन तब अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से तथा बेहतर तरीके से होता है जब उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर रखा जाए।

3. हालाँकि, आजकल 'अगला' अथवा 'इससे आगे का' से संबद्ध किसी विषय पर बहस करना प्रचलित हो गया है, यह विशेष मुद्दा भारत में हम सभी के लिए अत्यंत महत्व रखता है। फिर भी, आज के अंतर्संबद्ध विश्व में मैं जो कहूँगा वह उभरते बाजारों के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हो सकता है। इसलिए मैं उन्हीं मुद्दों पर बोलूँगा जो वैश्विक आर्थिक बहाली पर उन संदर्भों तथा उन मूल तत्वों के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करेंगे जो उभरती नयी आर्थिक संरचना को आकार देंगे। ये मुद्दे बहुत कुछ उन्हीं मुद्दों के समान हैं जिनसे भारत के बैंक संघर्ष कर रहे हैं/करेंगे।

4. यद्यपि, वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट और उसके परिणामस्वरूप आई मंदी का उद्गम विकसित पश्चिमी देशों में था, लेकिन इसके संक्रमण ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नहीं छोड़ा। जीवन में एकाध बार आने वाले संकट में एक बार वित्तीय प्रणाली की एक बड़ी जाँच के रूप में अनुरूप प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, जिसमें लगभग प्रत्येक तत्व विनियमन से लेकर जोखिम प्रबंधन, विलयन/अधिग्रहण, पूँजीकरण, कार्यपालक क्षतिपूर्ति, वित्तीय इजीनियरिंग, गवर्नेंस सभी शामिल होना चाहिए।

5. इस संबंध में बैंकों तथा वित्तीय बाजारों के बीच के संपर्क में हाल के दिनों में एक मौलिक परिवर्तन हुआ है - बैंक गहन रूप में वित्तीय बाजारों से जुड़े हैं, इसलिए वे वित्तीय बाजारों के दबावों के प्रति अधिक आघात सहने योग्य हुए हैं। फिर भी, बाजारों की कार्यप्रणाली गहन रूप से बैंकों से जुड़ी है जो वित्तीय बाजारों के भीतर अधिकांश जोखिमों के वाहक के रूप में उभरे हैं। हमने इनका यह परस्पर संबंध स्पष्ट रूप से अचूक लेहमैन ब्रदर्स, जिसने संपूर्ण विश्व को अपने चक्रवाती घेरे में शामिल कर लिया के धराशायी होने से शुरू हुई मंदी के तेजी से बढ़ने के दौरान सर्वाधिक विनाशकारी रूप में देखा है। फिर भी, मैं स्वयं को अगले मुद्दों के संदर्भ में तथा बैंकिंग प्रणाली के बारे में भी अपने अगले विचारों को शेयर करने तक सीमित रखूंगा जो वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में पहले ही बहुत कुछ स्पष्ट रूप से गोचर है।

वित्तीय समावेशन

6. मैं अन्य प्रत्येक मुद्दों के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक अत्यंत आधारभूत तथा मूल मुद्दे को रेखांकित करूँगा और वह है वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की चुनौती। बिना समावेशी हुए वित्तीय और आर्थिक स्थिरता दीर्घकालीन नहीं हो सकती। वित्तीय समावेशन मुख्यधारा के संस्थागत सहभागियों की

* मिंट्स के क्लारिटी थ्रू डिबेट, मुंबई में 15 मार्च 2011 को डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

ओर से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों जैसे असुरक्षित समूहों की जरूरत वाले उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक एक वहनीय लागत पर स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से उनकी विश्वसनीय रूप में पहुँच प्रदान किया जाना है। अभी इधर हाल में ही, वित्तीय समावेशन को एक अर्थक्षम कारोबार प्रस्ताव के रूप देखते हुए बाजारोन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए दीर्घकाल तक बनाए रखने वाले वित्तीय समावेशन में एक रणनीतिक परिवर्तन हुआ है। व्यापक बैंकरहित क्षेत्रों के लिए किफायती रूप में तथा इस समझ के साथ कि 'गरीब जनता उत्कृष्ट रूप से बैंक कारोबार के अनुकूल है' काम किए जाने के लिए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा अपेक्षित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता से यह संभव बनाया गया है। वित्तीय समावेशन वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इसका माध्यम वित्तीय शिक्षण और साक्षरता है। मेरी राय में, वित्तीय साक्षरता जनता अथवा वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के उपभोक्ताओं के वित्तीय समावेशन का अनिवार्य हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का प्रसार करने में सहायक है तथा वित्तीय समावेशन स्वयं भी आगे वित्तीय साक्षरता के प्रसार में मददगार है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सकारात्मक रूप में परस्पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। जोखिम और प्रतिलाभ की रूपरेखा के ज्ञान में बाजार के प्रत्येक सहभागी के लिए बाजार में तथा दी गई कमियों के भीतर अधिकतम कल्याण प्राप्त करने में विवेकपूर्ण सहभागिता का मूलमंत्र मौजूद रहता है। चूँकि वित्तीय साक्षरता में जोखिम और प्रतिलाभ की रूपरेखा का अपेक्षित ज्ञान उपभोक्ताओं और इन उत्पादों के प्रदाताओं को प्रदान करना निहित होता है, अतः यह अनुमान लगाना कि वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन वैश्विक चुनौतियाँ नहीं हैं, उपयुक्त नहीं होगा। वर्तमान मोड़ पर, जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली वित्तीय संकट के बाद के प्रभावों का सामना कर रही है, तो यह बहुत कुछ पहुँच का सवाल उतना नहीं है, बल्कि आज उन्नत देशों को पहले की तुलना में वित्तीय साक्षरता/शिक्षण की ज्यादा जरूरत है। भारत में, यह सवाल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच और वित्तीय साक्षरता दोनों का है। इसका तात्पर्य केवल पहुँच उपलब्ध कराया जाना नहीं है बल्कि सभी हिस्सेदारों को सच्चे व्यवहारों तथा वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की अन्य विशेषताओं जैसे, उनके जोखिमों और प्रतिलाभों के बारे में शिक्षित करना भी है।

पूँजी

7. अब मैं कुछ अन्य विशिष्ट मुद्दों की ओर चलूँगा। बैंकिंग उद्योग के सामने जो पहला मुद्दा है, वह है पूँजी। समुचित रूप से अच्छी तरह पूँजीकृत होते हुए भी, बैंक पूँजी की कमी के कारण अपने कारोबार को बढ़ाने की चुनौती का सामना करेंगे। भारत की वित्तीय प्रणाली उभरते बाजार के अधिकांश खिलाड़ियों की वित्तीय प्रणालियों की अपेक्षा पूँजी विनियोजन में बेहतर है। इसके पास कुछ उच्च निष्पादन करने वाले बैंक हैं, लगभग 2.5 प्रतिशत की सकल अनर्जक परिसंपत्ति का अत्यंत छोटा स्टॉक है तथा सुदृढ़ और चलनिधि इक्विटी बाजार हैं जो बीपीओ, आईटी, आर ऐंड डी, फॉर्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलिकॉम और होस्पिटलिटी क्षेत्र की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक कंपनियों के स्टॉक की प्रभावशाली ढंग से कीमत तय करता है। अभी भी कॉरपोरेट क्षेत्रों द्वारा पूँजी जुटाना एक चुनौती होगी लेकिन कृषि, लघु उद्योगों और कारोबार की कीमत पर नहीं। सर्वाधिक संभावनाशील उत्पादक क्षेत्र अथवा वे क्षेत्र जहाँ निवेश क्षमता कम है में उपलब्ध ऋण के बड़े भाग के उपयोग संबंधी बहस पर विचार किया जाना अभी बाकी है। जो भी हो, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण आबंटित किए जाने के लिए बैंकों को कहा जाना बैंक की पूँजी क्षमता के आधार पर निर्भर होगा। ऐसा करने से, बैंकों में डालने के लिए और अधिक पूँजी की जरूरत होगी। बासेल III की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को देखते हुए बैंक 9 प्रतिशत से अधिक गति से संभावनाशील रूप में बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की निधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी निर्माण की चुनौतियों का सामना करेंगे।

8. संकट के बाद, विश्व भर के विनियामक समष्टि विवेकपूर्ण रूपरेखा पर बहस कर रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत सहभागियों की अपेक्षा संपूर्ण प्रणाली पर केंद्रित विनियामक नीति शामिल होगी। कैपिटल बफर्स नयी समष्टि विवेकपूर्ण विनियामक रूपरेखा का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होगा। नयी रूपरेखा का उद्देश्य पूँजी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि पूँजी किसी बैंक के पास उधार के लिए उपलब्ध संसाधनों पर एक प्रतिस्पर्द्धात्मक आर्थिक बोझ है, इसलिए प्रतिचक्रीय पूँजी अपेक्षाओं की ओर कदम बढ़ाना और पूँजी प्रतिरोधक उपलब्ध कराना बैंकिंग प्रणाली की कीमत पर संभव है। तथापि, पूँजी वृद्धि एक विवेकपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय उत्पाद और लेनदेन निरंतर जटिल होते जा रहे हैं तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नये बासेल III समझौते के माध्यम से प्रस्तावित पूँजी अपेक्षाओं के उच्च और सुधरे हुए स्वरूप के कारण बैंकों को अच्छी तरह पूँजीकृत रख पाना एक अतिरिक्त चुनौती होगी।

9. बैंक पहले से ही पूँजी की अपर्याप्तता से जूझ रहे हैं क्योंकि ऐसी पूँजी पर प्राप्त प्रतिलाभ नये निवेशकों को प्रोत्साहित नहीं करता। सस्ती पूँजी का युग समाप्त हो गया है तथा निवेशक भी प्रतिलाभ की अस्थिरता के प्रति चौकन्ने हो गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नये लिखतों और नयी तकनीकों की जरूरत है। जब क्षेत्र के पूँजी प्रवाह के लिए परिस्थितियाँ सहज बनाने की मद सुधार के एजेंडा में

निरंतर सर्वोच्च स्थान पर रहेगी तो बैंकों को सरकार पर भरोसा करने की अपेक्षा बाजार से पूँजी निर्माण करके अपने तुलन पत्र को बढ़ाने की जरूरत होगी। सामान्य इक्विटी पर बल दिए जाने संबंधी बासेल II के मूलभूत सिद्धांतों पर विचार करते हुए, बैंक के बढ़ते हुए तुलन पत्रों से शेयरधारकों तथा जमाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता के संतुलन की चुनौतियां खड़ी होगी।

चलनिधि प्रबंधन

10. परंपरागत रूप से, पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को शोधक्षमता सुनिश्चित किए जाने के लिए लगाया गया था। फिर भी, वही केवल एक मुद्दा नहीं है। अगला मुद्दा जो प्रबंधन का आवश्यक रूप से ध्यान खींचेगा, वह है चलनिधि का प्रबंधन। क्या चलनिधि संकट आर्थिक संकट अथवा प्रबंधन संकट की शुरुआत है। मैं सोचता हूँ, इसमें दोनों का ही अंश है। संक्षेप में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की नियति है कि वे ऐसे अप्रत्याशित संकट का सामना करते हैं जिसके बारे में उनका कोई पूर्वानुमान नहीं होता। चलनिधि संकट का, यद्यपि वह बार-बार घटित होता है, अभी भी प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन किया जाना है। प्रतिक्रियाएँ विविध प्रकार की रही हैं और ऐसे संकट विनाश की एक निशानी छोड़ जाते हैं, जो संकट के बाद वाले चरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चलनिधि प्रबंधन के मुद्दे के लिए अभी तक जो देखा गया है, उसकी अपेक्षा ज्यादा दक्ष अनुक्रिया की जरूरत है। बैंक 'लेजी बैंकिंग' (क्योंकि ऋण बाजार में कार्य करना अधिक असुरक्षित होता जा रहा है) से 'क्रेजी बैंकिंग' (जब यह कुछ बैंकों द्वारा खुदरा उधार के क्षेत्र में कूदकर अपनी अंगुली जला लेने जैसा ज्यादा फैशनेबल हो जाए) फिर 'एजी बैंकिंग' के स्तर तक कैसे आगे बढ़ेंगे, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान पाना अभी बाकी है। सच्चाई यह है कि चलनिधि प्रबंधन को संक्रमण का वाहक बनने से रोकने के लिए और अधिक प्रबुद्ध, व्यापक, सूक्ष्म और अतितीक्ष्ण दृष्टिकोण अपेक्षित है।

आईएफआरएस का कार्यान्वयन

11. तीसरा मुद्दा जो वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के समक्ष आने वाला है, वह है आईएफआरएस अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक का अनुपालन किया जाना। वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण का अर्थ लेखांकन में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने में वृद्धि तथा उच्च गुणवत्ता वाले, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के एक एकल सेट के लिए सशक्त प्रयास है। नियमों के विभिन्न सेटों के अनुसार विभिन्न देशों में बनाए गए वित्तीय विवरणियों से ऐसे कई राष्ट्रीय मानक तैयार होंगे जिनसे समान प्रकार के लेनदेन के बारे में व्याख्या के अपने सेट होंगे, जिसके चलते विभिन्न देशों में तैयार किए गए वित्तीय विवरणियों की तुलना विश्लेषण और व्याख्या करना कठिन हो जाएगा।

12. विशेष मुद्दे (2011 के मध्य तक आईएफआरएस 9 को अंतिम रूप दिया जाना प्रत्याशित) शामिल होने की दृष्टि से बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में, बैंकिंग उद्योग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आईएफआरएस के साथ समभिरूपता के लिए मार्च 2011 में एक अलग विस्तृत योजना तैयार की गई थी। समभिरूपता की प्रक्रिया शहरी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में शुरू की जाएगी। इससे बैंकिंग प्रणाली को मानकों को आसानी से तथा निर्बाध तरीके से अपनाने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। फिर भी, यह नोट किया जाना चाहिए कि बैंक भारतीय लेखांकन मानक (आईएएस) 39 प्रतिस्थापना परियोजना और बहुत सारी अन्य लेखांकन गतिविधियों जिनमें वे जो वित्तीय लिखतों, उचित मूल्य मापन, वित्तीय वक्तव्य प्रस्तुति तथा समेकन से संबंधित शामिल हैं, द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। कुछ बड़े परिवर्तन जो वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण, देयताओं के वर्गीकरण तथा मूल्य निर्धारण, हानियों के लिए किए गए प्रावधान तथा उचित मूल्य मापन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। आईएएस 39 के उठाई गई हानि मॉडल में निकले दोष तथा और अधिक दूरदर्शी प्रावधानीकरण चिंता का एक क्षेत्र रहा है। हमने देखा है कि 'मार्क्ड टू मार्केट' की अवधारणा 'मार्क्ड टू मॉडल' के विचार की निरर्थकता के कारण, चूँकि वास्तविक बाजार द्वारा इसे नकार दिया गया, कैसे वास्तविक संकट के समय अनुपयोगी सिद्ध हुई तथा वास्तव में एक ऐसी स्थिति के रूप में समाप्त हो गई जिसे सही मायने में 'मार्क्ड टू मैडनेस' के तौर पर वर्णित किया जा सकता है। आइएफआरएस समभिरूपता प्रक्रिया में सामान्यतः बैंकिंग प्रणाली के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ शामिल हैं। बैंकों को आइएफआरएस की जटिलताओं का सामना करने के लिए अपनी बुनियादी सुविधाओं में, जिनमें सूचना प्रद्योगिकी तथा मानव संसाधन शामिल है, सुधार करने की जरूरत है। समभिरूपता प्रक्रिया के दौरान भारतीय बैंकों के लिए उठने वाले कुछ बड़े जो तकनीकी मुद्दे होंगे वे हैं आइएफआरएस तथा वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और मापन, बैंकों द्वारा अपनाये जा रहे कारोबार मॉडल के मानक पर ध्यान केंद्रित किए जाने तथा इस क्षेत्र में प्रबंधन के लिए चुनौतियों, लेनदेन के लिए उचित मूल्यों को लागू करने पर दिए गए वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के बीच असमानताएँ, जहाँ भारत में बाजार प्रथाओं अथवा बेंचमार्क तथा हानियों के लिए नियमों में अपेक्षित परिवर्तनों के रूप में अधिक दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन से आगे

13. आज हम प्रौद्योगिकी के बिना बैंकिंग सेवाओं के बारे में सोच नहीं सकते। बैंक जो भी आज कर रहे हैं अथवा भविष्य में करने की जो भी रणनीति बना रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी उसका मुख्य केंद्रबिंदु बन गयी है। हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि प्रौद्योगिकी बहुत समय तक यंत्रचालित प्रक्रियाओं का एक साधनमात्र नहीं रहा है। इसने उन ग्राहकों को, जिनके पास सामान्य तौर पर वहन करने की शक्ति नहीं है, उत्पादों तथा सेवाओं को तेजी से तथा कम लागत पर उपलब्ध कराकर विश्व में प्रत्येक उद्योग में क्रांति लाई है। प्रौद्योगिकी किसी उत्पाद और/अथवा सेवा से संबंधित समावेशन लाए जाने में सबसे अधिक विश्वसनीय और सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है।

14. प्रौद्योगिकी में प्रगति एक व्यापक और समावेशी बैंकिंग क्षेत्र बनाने में मदद करती है तथा इस प्रक्रिया में यह अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन और समावेशी विकास के लिए प्रमुख अभिप्रेरक है। प्रौद्योगिकी अपने आप में कोई रामबाण दवा नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी में इस सीमा तक विकास हुआ है कि यह लक्ष्यों को पाने का प्रमुख साधन बन सकती है - यदि बैंक उन परिवर्तनों को स्वीकार करने की इच्छा करते हैं जिनकी उक्त लक्ष्यों को पाने के लिए उन्हें जरूरत है। बैंकों ने कोर बैंकिंग सोल्यूशंस कार्यान्वित किये हैं, जिससे अनेक मायनों में प्रतिमान स्थापित करने वाला परिवर्तन आया है। इससे शाखा के ग्राहक अब बैंक के ग्राहक हो गये हैं क्योंकि वे निर्धारित प्रयोजनों के लिए किसी भी शाखा से अपने खातों तक पहुँच सकते हैं। यह परिकल्पना की गयी थी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशंस (सीबीएस) सूचना प्रबंधन, बेहतर ग्राहक सेवा तथा उन्नत जोखिम प्रबंधन के लिए नये अवसर प्रदान करेगा। फिर भी, बैंक, कम मूल्य की लेनदेन में लागत की कटौती, लेनदेन किए जाने की गति, यदि सफल और असफल लेनदेन पर विचार किया जाए, बेहतर ग्राहक सेवाएँ तथा बैंकों के भीतर तथा विनियामक से सूचनाओं का प्रभावशाली प्रवाह के रूप में इसके लाभ नहीं उठा पाए हैं। बैंक अंशतः कार्यक्षमता में हुई वृद्धि का फायदा नहीं उठा पाए हैं क्योंकि अत्यावश्यक कारोबार का पुनर्गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा, बैंकों ने लेनदेन की प्रोसेसिंग के लिए तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका ग्राहक संबंध प्रबंधन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए व्यापक पैमाने पर अन्वेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार, जो हम प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के पहले दौर में नहीं हासिल कर सके, उसके लिए हमें सतर्कता बरतने तथा कोर बैंकिंग सोल्यूशंस से आगे सोचने की जरूरत है। नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित बैंकों को विशिष्ट रूप से निर्मित सेवाओं को विकसित करने, नवोन्मेषी रणनीतियों को कार्यान्वित करने तथा नये बाजार अवसरों को आकर्षित करने के लिए नये कारोबार अवसरों की पहचान करने की जरूरत होगी।

15. प्रौद्योगिकी का अधिकतम फायदा उठाना निम्नलिखित तत्वों पर महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा :

क. कुशल संसाधन

ख. समर्थक मानव संसाधन नीति

ग. उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस ढाँचा

घ. प्रभावशाली कारोबार निरंतरता योजना

बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन मुद्दों की समीक्षा करने की जरूरत है जिनका संबंध उपयुक्त कौशल की भरती करने, उन्हें स्पष्ट तौर पर कैरियर विकास के अवसर देने तथा सक्षम बनाने की प्रक्रिया का समर्थन करके एक लंबी अवधि तक उन्हें रखने से है। तथापि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन ढाँचे के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस का एक सामान्य ढाँचा अंतःस्थापित हो जो बैंकों को आश्वासन की मात्रा और निरंतरता के साथ एक समर्थक की भूमिका निभाने के लिए प्रौद्योगिकी शक्ति से भी समर्थ बनाए।

जोखिम प्रबंधन

16. बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जोखिम प्रबंधन का मुद्दा सही नीति के निर्धारण की निरंतर प्रक्रिया के केंद्र में लगातार बना रहेगा। नवीन क्षेत्रों तथा जोखिमों के अपरिचित तत्वों के प्रबंधन के लिए नवीन कौशल यहां तक कि अतिकुशल बैंक के लिए एक चुनौती बना रहेगा। बैंकों को एक जोखिम अभिमुख दृष्टिकोण अपनाना होगा जहाँ वे अपनी जोखिम प्रबंधन कुशाग्रता का पुनर्मूल्यांकन इस तरीके से करेंगे जिसमें पारदर्शिता के उच्चतर स्तरों, संरचनागत सत्यनिष्ठा और परिचालनगत नियंत्रण आवश्यक हो। आंतरिक धोखाधड़ी का प्रतिरोध करने और ग्राहकों तथा खातों की सुरक्षा करने के लिए व्यवहार तथा नियम आधारित साधनों को सामने लाना होगा। बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा निगरानी अनुप्रयोगों को जिनसे प्रणालीगत तथा ग्राहकोन्मुख जोखिमों, हितों के संभावित टकरावों, वित्तीय मूल्य निर्धारण, बाजार की गतिविधियों की अस्थिरता और विनियमों का समाधान किया जा सके, परिचालनगत ढाँचे में अंतःस्थापित करना होगा। भावी कीमत निर्धारण जोखिम को न्यूनतम किए जाने पर निर्भर करेगा, भले ही, संबंध आधारित कीमत निर्धारण का बोलबाला रहेगा। आज बैंक और वित्तीय संस्थान कीमत निर्धारण की गलती, प्रतिकूल चयन तथा बिक्री की गलती के जोखिमों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, बैंक उस बाजार में परिचालन कर

रहे हैं जहाँ वयस्क जनसंख्या का केवल लगभग एक-तिहाई भाग बैंकिंग के दायरे के अंतर्गत है जिससे बाजार की संभावना वर्तमान आकार से दुगुना बढ़ रही है तथा मौन रहने वाली बहुसंख्यक जनता के लिए बैंकिंग सेवाएँ देने की ओर अन्य बैंकों का झुकाव बहुत कम है। जबकि बाजार का विस्तार किया जाना अस्तित्व का प्रश्न है, बैंकों के लिए अगली चुनौती यह होगी कि वे एक ऐसी मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करके अपने परिचालनों को सुरक्षित बनाएँ, जो न केवल सुरक्षा देने वाली हो बल्कि समावेशी भी हो तथा कारोबार के लिए सक्षम बनानेवाले के रूप में कार्य करे। लेकिन ऐसा होने के लिए विश्लेषणात्मक प्रविधि को विकसित होना होगा तथा आँकड़ों की शुद्धता बेहतर होनी होगी।

17. आगे बढ़ते हुए, एएमएल/केवाईसी मानदंडों के कड़ाई से पालन के लिए और अधिक संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि प्रणाली में कमजोरी के तत्व आने से रोका जा सके। निधियों के संचलन, खासकर सीमापार लेनदेन के सत्यापन के लिए मजबूत ट्रेकिंग प्रणाली तथा कुशल विश्लेषणात्मक क्षमताएँ भविष्य के लिए आवश्यक होंगी। इसके साथ ही, सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा ग्राहक का संरक्षण होगा। जब मैं ग्राहक संरक्षण की बात करता हूँ तो मेरा आशय बैंकिंग सेवाओं अथवा बैंकों को ग्राहकों के लिए आर्थिक रूप से संभव बनाना तथा उन्हें गलत बैंकिंग प्रथाओं से संरक्षित करना है। क्या हम किसी ऐसी प्रणाली का आविष्कार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से गरीबों द्वारा धनी लोगों को सहायता प्रदान किए जाने को पूरी तरह बदला जा सके। जब बैंक बड़ा लाभ कमाते हैं तो इसके पीछे कारण है कि ग्राहक इसके लिए बहुत ज्यादा भुगतान करते हैं। जब बैंक घाटा उठाते हैं तो फिर इसके पीछे भी ये ग्राहक ही होते हैं जो अपनी जमाराशि के लिए घाटा उठाते हैं अथवा अपने ऋणों के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं। जब बैंकों के कारोबार का अंत हो जाता है तो करोड़ों करदाताओं की गाढ़ी कमाई का पैसा ही डूबता है। ग्राहक संरक्षण को ग्राहकों की सूचनाओं की सुरक्षा तथा लेनदेन की सुरक्षा प्रदान किए जाने के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दीवार पर लिखा संदेश स्पष्ट है: 'अपने ग्राहक को खुश रखिए और अपना अस्तित्व बनाए रखिए'।

जोखिम और पुरस्कार

18. अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए सतर्कतापूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है, वह है कार्यपालकों को दिया जाने वाला पारितोषिक। कितना पारितोषिक अत्यधिक होगा ? क्या बैंकिंग उद्योग में एक ही तरह की नौकरी के लिए एक अलग-अलग प्रकार की पारितोषिक संरचना हो सकती है ? क्या बोर्ड के स्तर पर एक समान जवाबदेही हो सकती है ? हाल के विश्वव्यापी वित्तीय संकट में वित्तीय क्षेत्र के दोषपूर्ण प्रोत्साहन पारितोषिक की प्रथाओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं इससे अवगत हूँ कि लालच अचानक आनेवाली तेजी (बूम) को तथा भयभारी गिरावट को बढ़ावा देता है। मनुष्य के स्वभाव की विचित्रता हमेशा उल्लासोन्माद को तेज कर देती है जिससे ऊँचाई की ओर बढ़ा जाता है तथा वही गिरावट को भी बढ़ाती है। अक्सर कर्मचारियों को उन जोखिमों की पर्याप्त पहचान किए बिना जिनका सामना कर्मचारियों की गतिविधियों के कारण संगठनों को करना पड़ता है, उन्हें अल्पावधि का लाभ बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

19. जानबूझ कर गलत तरीके से दिए जाने वाले इन प्रोत्साहनोंने अत्यधिक जोखिम लेने को बढ़ावा दिया जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को गंभीर रूप से संकट में डाल दिया। इसलिए पारितोषिक का मुद्दा विनियामक सुधारों के केंद्र में रहा है। अत्यधिक जोखिम लेने से बचने के लिए उपयुक्त पारितोषिक का मुद्दा जोखिम और निर्मित नियंत्रणों के अनुरूप हों जिनका कार्य मजबूत कॉर्पोरेट नीति सिद्धांतों पर आधारित तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों के संदर्भ में बनाई गई एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूपरेखा के माध्यम से किया जाना होगा। सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहन में कमी की जानी चाहिए जिसे पारितोषिक योजनाओं की संरचना से विकसित किया जा सकता है। सिद्धांतों में पारितोषिकों का प्रभावशाली गवर्नेंस तथा विवेकपूर्ण ढंग से जोखिम लेने और प्रभावशाली पर्यवेक्षण निगरानी एवं सहभागी-कार्य के साथ अनुकूलन हो। ये सिद्धांत जी-20 के देशों तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा समर्थित हैं तथा सारे अधिकार-क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अधीन हैं। तथापि, बैंक एवं अन्य वित्तीय प्रणाली सहभागियों को उस अच्छे गवर्नेंस की प्रशंसा करने की जरूरत का मामला प्रथा की तुलना में अनुपालन का अधिक है।

20. अब प्रश्न है : बहुत सारी बाधाओं तथा समस्याओं के साथ क्या प्रणाली का अस्तित्व बना रहेगा ? इसका उत्तर एक जोरदार 'हाँ' है क्योंकि बैंकिंग एक अत्यंत विनियमित कारोबार है। लेकिन बैंकों के सामने की कुछ चुनौतियों को चिह्नित करते हुए मेरा कर्तव्य है कि मैं विनियामकों के लिए कुछ चुनौतियों को चिह्नित करूँ। हम सभी जानते हैं :

- वित्तीय प्रणाली अत्यंत जटिल तथा अस्पष्ट रूप में विकसित हो रही है - कभी-कभी एक्सपोजर की सीमा तथा संभावित पिछले स्टॉक का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। यह अस्पष्टता आत्मविश्वास पर पड़ने वाले आघात को बढ़ा देती है जैसा कि हाल के संकट के दौरान देखा गया।
- बैंकिंग प्रणाली की प्रवृत्ति अति लीवरेजवाली तथा अतिशय अंतर-संबंधवाली प्रणाली बनने की होती है जिसके चलते भारी स्तर पर डिलीवरेजिंग तथा घरेलू एवं वैश्विक दोनों स्तर पर सहज उपलब्ध प्रचार माध्यम से प्रचार माध्यमों को प्रोत्साहन मिलता है।

- चलनिधि जोखिमों, संस्थाओं द्वारा अपने ऊपर लिए गए निधीयन जोखिम तथा आस्तियों का संबद्ध बाजार चलनिधि जोखिम दोनों अनुमान की तुलना में अक्सर अत्यधिक होते हैं।
- वित्तीय मध्यस्थता, बैंकों पर लगाई गई अधिक कठोर अपेक्षाओं को टालने के लिए बहुत कुछ हद तक निरंतर अविनियमित अथवा अल्प विनियमित 'शैडो' बैंकिंग क्षेत्र की ओर चली गई है।
- ऐसी प्रभावी व्यवस्था की भारी कमी है जिनसे 'इतने बड़े कि असफल होने नहीं दिया जा सकता' जैसी संस्थाओं की समस्याओं से निपटा जा सके।

विनियामक उपर्युक्त चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ?

21. केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की एक दीर्घावधि दृष्टि अपनानी चाहिए तथा उपयुक्त नीतिगत कार्रवाई करनी चाहिए। जब अन्य लोग सस्ता ऋण चाहें तो हमें ब्याज-दरों को बढ़ाने की तथा जब अन्य लोग आसान लाभ चाहें तो जोखिम भरे वित्तीय प्रथाओं पर लगाम लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

22. जब आगे बढ़ने के लिए समष्टिगत तथा व्यष्टिगत विवेकपूर्ण विनियम पर प्रगति मूल मंत्र होगा, विनियामकों की तरफ से न केवल कुछ 'ज्ञात अज्ञात' बल्कि बड़ी संख्या में 'अज्ञात अज्ञात' प्रबंधन-क्षेत्र में भी एक व्यवस्था संस्थापित करने में बाजार को दिशानिर्देश उपलब्ध कराने से संबंधित कुछ कार्यों की अभी जरूरत है।

23. अब पीछे मुड़कर देखने पर, निम्न मामूली ब्याज दरों, प्रचुर चलनिधि और अनुकूल समष्टि आर्थिक माहौल के लाभ ने निजी क्षेत्र को लगातार बढ़ते जोखिमों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्तीय संस्थानों ने उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता पर अपर्याप्त नियंत्रण के साथ ऋण उपलब्ध कराया तथा उच्चतर प्रतिलाभ निकालने के प्रयास में नये और अत्यंत जटिल वित्तीय उत्पादों को विकसित किया। इस बीच, बहुत सारे वित्तीय विनियामक और पर्यवेक्षक आत्मसंतोष में चुप रहे तथा अरक्षितता बनने के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमें ओवरहीटिंग के इस तरह के गुप्त संकेतों को पकड़ने के लिए तथा अपने नीतिगत रवैये में तेजी से सुधार के लिए अपने नीतिगत साधनों में और अधिक सूक्ष्मग्राहिता विकसित करनी है।

निष्कर्ष

24. सारांश रूप में, मैं यह दुहराना चाहूँगा कि यद्यपि, भारतीय वित्तीय प्रणाली द्वारा सामना की जा रही हर प्रमुख चुनौतियों की शुरुआत बैंकिंग प्रणाली से होती है, लेकिन ये चुनौतियां बैंकिंग प्रणालियों तक सीमित नहीं रहती और इन्हें इन प्रणालियों तक सीमित भी नहीं रहना चाहिए। बैंकों को उस नज़रिये से उबरना होगा जिसके संकीर्ण अर्थों में बैंकिंग को परंपरागत रूप से परिभाषित किया गया है: उन्हें कमजोरों और जनसंख्या के अन्य वंचित वर्गों को बैंकिंग के योग्य मानकर उनकी ओर देखने की जरूरत है। बैंकिंग के इतर हिस्सेदारों को भी वित्तीय सेवाओं की पहुँच के विस्तार की प्रक्रिया में स्वयं को संलग्न करने तथा इस प्रकार, समावेशी आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में बैंकों के साथ साझेदारी करने की जरूरत है। यही आज की प्रमुख चुनौती है।